राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक– राम/भू0अ0/परीक्षा/प–299/2022/32022 दिनांक–07/12/22

विज्ञप्ति

समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि आगामी पटवार परीक्षा (विभागीय) दिनांक 04–01–2023 से आरम्भ होगी जिसका कार्यक्रम निम्न प्रकार से है:–

क्र. सं.	दिनाक	दिवस	समय	विषय
1.	04–01–2023	बुधवार	10 A.M. to 1 P.M.	राजस्थान भू–राजस्व (भू.अ.) नियम 1957 **(Rajasthan Land Revenue (Land Records) Rules, 1957)**
2.	05–01–2023	गुरूवार	10 A.M. to 11.30 A.M.	मापगणित **(Plan Mensuration)**
3.	06–01–2023	शुक्रवार	10 A.M. to 1 P.M.	तैयारी कागजात **(Preparation of Records)**
4.	09–01–2023	सोमवार	10 A.M. to 1 P.M.	एल. आर. सी. **(Land Record Computerization)**
5.	10–01–2023	मंगलवार	10 A.M. to 1 P.M.	भू–राजस्व विधियाँ **(Revenue Law)**
6.	11–01–2023	बुधवार	10 A.M. to 11.30 A.M.	लोक प्रशासन, प्रबन्धन एवं प्रभावी सम्प्रेषण **(Public Administration Management Efective Communication)**
7.	12–01–2023	गुरूवार	10 A.M. to 1 P.M.	सर्वे सैद्धान्तिक **(Survey Theory)**
8.	13–01–2023	शुक्रवार	10 A.M. to 1 P.M.	कार्मिक व वित्तीय प्रबन्धन **(Personnel & Finacial Management)**
9.	16–01–2023	सोमवार	10 A.M. to 11.30 A.M.	सामान्य राजनीतिक व प्रशासनिक संरचना **(General Political And Administrative Structure)**
10.	17–01–2022	मंगलवार	प्रातः 8 बजे से सम्पन्न होने तक	सर्वे प्रायोगिक **(Survey Practical)**

राजस्थान भू–राजस्व (भू.अ.) नियमावली 1957 के नियम 282(5) के अनुसार निम्न श्रेणी के उम्मीदवार इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे :–

वह अभ्यर्थी/ट्रेनी जिसका नाम पटवार स्कूल की उपस्थिति पुस्तिका में है और सम्पूर्ण सत्र के कार्य दिवसों मे कम से कम 75 प्रतिशत दिन स्कूल में उपस्थित रहा हो, अथवा

जो ट्रेनी गत पटवार परीक्षाओं में दो परीक्षाओं में असफल रहे हो, ट्रेनी व पटवारी जो तीन परीक्षाओं में असफल रहे है को किसी पटवार परीक्षा में पुनः बैठने की अनुमति नहीं हैं। परन्तु ट्रेनी व पटवारी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के क्लाज 37–क व 37–ख में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हैं को पटवार परीक्षा पास करने के लिये चार अवसर देय हैं ।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 है। संबंधित पटवार प्रशिक्षण शाला आवेदन पत्र की पूर्ति कर/करवाकर मण्डल मे दिनांक 22–12–2022 तक विशेष वाहक के साथ निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाना है:–

समस्त आवेदक उनसे सम्बन्धित जिला कलक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन पत्र भरकर नीचे अंकित शुल्क सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे।

पटवार परीक्षा के आवेदन पत्र के प्रपत्र प्रशिक्षणार्थी उनसे संबंधित शाला के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक से प्राप्त कर शाला के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगें। समस्त परीक्षार्थी पटवार परीक्षा (विभागीय) माह जनवरी, 2023 का आवेदन पत्र भरकर प्रस्तुत करेंगे। परीक्षा शुल्क आवेदन पत्र के साथ रूपये 50/– (अंके पचास रूपये) के अनुसार चालान द्वारा राजस्व मण्डल के खाते में " मद 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाऐं , 60–अन्य सेवाऐं , 800–अन्य प्राप्तियां, (17) राजस्व मण्डल द्वारा परीक्षाऐं"(ई ग्रास – 0070–60–800–17–00–राजस्व मण्डल द्वारा परीक्षाऐं) में जमा कराई जायेंगी । अनु. जाति/अनु. जनजाति के आवेदको से कोई परीक्षा शुल्क नही लिया जायेगा। समस्त आवेदको द्वारा अंक तालिका शुल्क 25/–रूपये भी उपरोक्त मद में चालान द्वारा जमा कराये जायेंगे तथा चालान की प्रति आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करनी होगी। आवेदकों को परीक्षा के आवेदन पत्र का प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

निर्धारित दिनांक 21–12–2022 के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त योग्य होंगे और इसके लिये पृथक् से सूचना नहीं भेजी जायेगी।

1

जिला कलक्टर प्राप्त हुये आवेदन पत्रों का प्रमाणीकरण करके सचिव (भू.अ.), राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को दिनांक 22–12–2022 तक अनिवार्य रूप से विशेषवाहक के साथ भिजवा देंगें। मण्डल के आदेश क्रमांक राम/भू0अ0/परीक्षा/प–295/2021/31411–44 दिनांक 17–11–2022 से प्रशिक्षु पटवारियों को संबधित जिलों मे पटवार मण्डल पर पदस्थापित करने हेतु आर्देशित किया गया था। समस्त जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया जाता है कि वे पटवार विभागीय परीक्षा हेतु संबंधित प्रशिक्षु पटवारियों को आवेदन पत्र भरने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का श्रम करावें।

पटवार परीक्षा (विभागीय) के लिये स्थाई एवं अस्थाई पटवार प्रशिक्षण शाला में परीक्षा केन्द्र होगा, जिसमे उपरोक्त प्रकार की श्रेणी के उम्मीदवार इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगें। योग्य उम्मीदवारों के रोल नं. संबंधित पटवार प्रशिक्षण केन्द्र के जिला कलेक्टर को राजस्व मण्डल द्वारा परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व भिजवा दिये जायेगे। अतः समस्त योग्य उम्मीदवार परीक्षा केन्द्र से प्रवेश–पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व प्राप्त करे।

पटवार प्रशिक्षण शाला/अस्थाई पटवार प्रशिक्षण शाला के संबंधित जिला कलेक्टर भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियमावली, 1957 के नियम 282(8) के तहत् परीक्षा समिति का गठन करेंगें व मण्डल को सूचित करेंगे।

(ओम प्रभा)
सचिव (भू.अ.),
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर।

स्पीड पोस्ट
क्रमांक: राम/सम/32023–92 दिनांक 07/12/22

प्रतिलिपि :–

(1) आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर एवं जिला कलक्टर, समस्त (राजस्थान) को प्रेषित कर निवेदन हैं कि – कृपया सम्बन्धित आवेदक से आवेदन पत्र की पूर्ति करवायी जाकर व प्रमाणीकरण पश्चात् दिनांक 22–12–2022 तक आवश्यक रूप पटवार प्रशिक्षण शाला के प्रधानाचार्य /प्रधानाध्यापक के माध्यम से विशेष वाहक के साथ मण्डल को भिजवाने की व्यवस्था करावें। आपके जिले मे प्रशिक्षण प्राप्त अन्य पटवारी जो पटवार परीक्षा अब तक नही दे पाये अथवा पूर्व पटवार परीक्षा मे पूरक रहे है, को भी उक्त आवेदन पत्र भरवाकर नजदीकी पटवार प्रशिक्षण शाला के माध्यम से आवेदन पत्र भिजवाये। विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर भी लगवाने की व्यवस्था करावे। (सलंग्न –आवेदन प्रपत्र है जिसकी आवश्यकतानुसार/पटवार प्रशिक्षण शाला मे प्रशिक्षु पटवारियों की संख्या के अनुसार छाया प्रतियां करवाकर प्राप्ति दिनांक से 01 दिवस बाद अनिवार्य रूप से संबंधित पटवार प्रशिक्षण शाला मे भिजवाने की सुनिश्चितता करें।)

(2) निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर। (संलग्न– आवेदन पत्र की प्रति)

(3) प्रधानाचार्य, सर्व उद्देशीय राजस्व प्रशिक्षणालय, टोंक को प्रेषित कर लेख है कि आपके केन्द्र पर प्रशिक्षु पटवारियों को उक्त आवेदन पत्र अपने स्तर से भरवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(4) प्रधानाध्यापक, पटवार प्रशिक्षण शाला, टोंक/कोटा/जोधपुर/देबारी (उदयपुर)/देवखेड़ा (अलवर)/ गजसिंहपुर (जिला–श्रीगंगानगर) को प्रेषित कर लेख है कि आपके केन्द्र पर प्रशिक्षु पटवारियों को उक्त आवेदन पत्र अपने स्तर से भरवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(5) प्रधानाध्यापक, अस्थाई पटवार प्रशिक्षण शाला, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, जयपुर, दौसा, झुझुंनू, सीकर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमन्द, बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, बून्दी, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, व जालौर द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर।

समस्त पटवार प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रेषित कर लेख है कि समस्त प्रशिक्षणार्थियों से आवेदन पत्र अपने स्तर से भरवाया जाना सुनिश्चित करावें एवं जिलें मे पटवार विभागीय परीक्षा से शेष रहे पटवारियों को सम्मिलित करते हुए समस्त आवेदन पत्रों की दिनांक 21–12–2022 तक पूर्ति करवा कर विशेष वाहक के माध्यम से राजस्व मण्डल को दिनांक 22–12–2022 तक आवश्यक रूप से जमा करवायें।

(5) श्री .....
को प्रेषित कर लेख हैं कि संबंधित पटवार प्रशिक्षण शाला मे दिनांक 21 **दिसम्बर, 2022** तक आवेदन पत्र मय नियत शुल्क के प्रधानाध्यापक को ही प्रस्तुत करें।

सचिव (भू.अ.),
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर।